व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष/खनिज	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	चिंता-जनक	मारे गए	गंभीर रूप से घायल
1	2	3	4	5
1994				
कोयला	156	717	241	775
धातु	57	225	80	239
तेल	4	21	6	27
सभी खनिज	217	963	327	1041
1995				
कोयला	137	757	219	813
धातु	58	250	66	260
तेल	8	18	8	19
सभी खनिज	203	1025	293	1092
1996				
कोयला	131	677	146	723
धातु	63	235	73	255
तेल	9	28	10	28
सभी खनिज	203	940	229	1006
1997				
कोयला	144	678	166	726
धातु	68	246	75	262
तेल	2	19	2	23
सभी खनिज	214	943	243	1011
1998 (31 अक्टूबर तक)				
कोयला	105	389	119	378
धातु	45	179	48	197
तेल	7	15	7	16
सभी खनिज	157	553	174	591

(ग) मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि से संबंधित सूचना का संकलन कार्य महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) खानों में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, खान अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निहित है। सुरक्षा संबंधी कानूनों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और तदनुसार समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। 1990 के दौरान कोयला खान विनियमन, 1957 में व्यापक रूप से संशोधन किए गए थे। सुरक्षा उपायों में सुधार किए जाने के लिए, महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा प्रबंधन को परिपत्र के जरिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं। खान प्रबंधन द्वारा इन प्रावधानों का अनुपालन किया जाना उपेक्षित होता है। सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की स्थिति का जायजा लेने के लिए महानिदेशक खान सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा खानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और चूक करने के मामले में खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

संवैधानिक उपायों के अलावा, सरकार कई अन्य उपायों को प्रोत्साहन दे रही है यथा:-

(क) खानों में सुरक्षा के बारे में सम्मेलन।

(ख) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन।

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी।

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा करना।

(ङ) कामगारों को प्रशिक्षण देना।

(च) सुरक्षा सप्ताह और सुरक्षा अभियान का आयोजन।

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

Measures to Improve Sail's Profitability

118. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether SAIL incurred loss in the first quarter of 1998-99;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the measures taken by SAIL to improve profitability?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) and (b) The Steel Authority of India Limited (SAIL) has incurred a loss of Rs. 311 crores in the first quarter of 1998-99.

(c) SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia

include reduction in cost by improving the techno-economic parameters, demand oriented production, improving quality of products, and increasing sales through aggressive and customer oriented marketing, etc.

Amendments of Certain Mines Act

119. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government are considering amendments in the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and Minerals Concessions Rules 1960 particularly with a view to delegating more powers to State Governments; and

(b) if so, the steps taken in this regard and by when amendments are likely to be made?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) yes, Sir.

(b) The Central Government constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary, Department of Mines, Government of India with Mining Secretaries of States Governments of Orissa, Rajasthan, karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Assam and Himachal Pradesh, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries and Controller General, Indian Bureau of Mines etc. as Members. The terms of reference of the Committee, inter-alia, included review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggests steps to reduce delays in grant\renewal of Prospecting Licences\Mining Leases. The Committee was also to consider and suggest further delegation of powers to the State Governments regarding grant\renewal of Prospecting Licences\Mining Leases and measures to be taken to prevent illegal mining. The Committee has submitted its report to the Government and further necessary action has already been initiated.

देश में इस्पात की मांग

120. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने सन् 2001-02 तक देश में इस्पात की मांग का राज्यवार आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा कुल कितनी मात्रा के इस्पात के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) से (घ) परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग के अनुमान अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं न कि अलग-अलग राज्यों के आधार पर। पिछले कुछ वर्षों में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहा है, जिसका ब्यौर निम्न प्रकार है:—

(मात्रा: लाख टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन
1995-96	21.29	214.0
1996-97	22.12	227.2
1997-98	22.63	233.7

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा और इस्पात संबंधी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि 2001-02 तक देश में परिसज्जित कार्बन इस्पात की मांग 326.8 लाख टन (निवल) हो जाने की संभावना है।

इस समय इस्पात की अधिकांश मदों की कोई कमी नहीं है। सभी राज्यों में इस्पात की आपूर्ति/उपलब्धता पर्याप्त रही है। मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टिकोणों से घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात की सभी मदों का स्वतंत्र रूप से नीति के अनुसार आयात करने की अनुमति है। तथापि, भारतीय इस्पात उत्पादक घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादकता और उत्पादन में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद-मिश्र को अपनाना शामिल है।

(ङ) जुलाई, 1991 से लागू नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग कतिपय स्थान संबंधी प्रतिबंधों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेने से मुक्त है। देश में अपरिष्कृत इस्पात की कुल संस्थापित क्षमता 1997-98 के दौरान अनन्तिम तौर पर लगाए गए अनुमान के अनुसार